

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

—:: कार्यालय-आदेश ::—

राज्य सरकार के ज्ञापन क्रमांक: एफ.1(2) एफ.डी. (रूल्स)/06/पार्ट-I दिनांक: 11 जून 2014, 07 अगस्त 2014, 08 अगस्त 2019, 25 अक्टूबर 2019 एवं 06 जनवरी 2020 की पालना में निम्नांकित व्याख्याता स्कूल शिक्षा (प्रोबेशनर-ट्रेनी) का निम्नानुसार चिकित्सा प्रमाण पत्र/स्वयं के आवेदन पत्र के आधार पर असाधारण/अवैतनिक अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

| क्रं.सं | नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि) | विषय          | अवकाश का प्रकार | लिये गये अवकाश की अवधि      | दिनों की संख्या |
|---------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| 1       | अनिल कुमार भाटी, बिठूजा (बाड़मेर)       | भौतिक विज्ञान | असाधारण अवकाश   | 17.07.2019 से 08.08.2019 तक | 23 दिन          |
|         |                                         |               |                 | 15.11.2019 से 21.11.2019 तक | 07 दिन          |
|         |                                         |               |                 | कुल दिवस                    | 30 दिवस         |
| 2       | अनिता, गुडावली (चूरु)                   | गणित          | असाधारण अवकाश   | 02.09.2020                  | 01 दिन          |
|         |                                         |               |                 | 31.08.2020                  | 01 दिन          |
|         |                                         |               |                 | 07.08.2020 से 08.08.2020 तक | 02 दिन          |
|         |                                         |               |                 | कुल दिवस                    | 04 दिवस         |

नोट:-कार्मिक का उक्त अवधि का वेतन आहरित कर लिया गया है तो संबंधित संस्था प्रधान समायोजित करें।



(सौरभ स्वामी)  
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-3/भौगक/प्रो.ट्रे./अवैतनिक/अवकाश/20-21/500 दिनांक: 23-09-2021

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, (स्कूल शिक्षा)।
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक।
4. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
5. संबंधित प्रधानाचार्य/संबंधित कार्मिक।
6. सिस्टम एनेलैरिसिट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली।

सत्यमेव जयते

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर